

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, दिनांक 5 अप्रिल, 2019

सा. का. नि. (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा. का. नि. संख्या 256(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी में-

- (क) पृष्ठ 75 पर, स्तंभ 4 में, “6” के स्थान पर “12” पढ़ें; और
(ख) पृष्ठ 76 पर, स्तंभ 4 में, “9” के स्थान पर “18” पढ़ें ।

[फ़ा. सं. 354/32/2019-टी आर यू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार